मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 47/2022 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– हीरालाल पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2– पन्नालाला पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
3– बालमुकन्द पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
4– पुष्पा पुत्री मोहनलाल मेनारिया पत्नी गोपाल मेनारिया निवासी आलाखेडी तहसील डूंगला,
5– सुन्दरबाई पत्नी मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

1– लच्छीलाल पत्नी भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2– सोहनलाल पिता भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
3– किशनलाल पिता भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ बडीसादडी
4– मांगीबाई पुत्री भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ बडीसादडी
5– राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बडीसादडी,

–प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री रमेश शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा निकुंभ पटवार सर्कल निकुंभ की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.....X.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...x... को दी जावे।

यह आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 47/2022 ई.रे.

1– हीरालाल पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2– पन्नालाला पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
3– बालमुकन्द पिता मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
4– पुष्पा पुत्री मोहनलाल मेनारिया पत्नी गोपाल मेनारिया निवासी आलाखेडी तहसील डूंगला,
5– सुन्दरबाई पत्नी मोहनलाल मेनारिया ब्राहमण निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

1– लच्छीलाल पत्नी भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2– सोहनलाल पिता भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
3– किशनलाल पिता भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ बडीसादडी
4– मांगीबाई पुत्री भग्गा चमार(मेघवाल) निवासी निकुम्भ बडीसादडी
5– राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बडीसादडी,

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :- 29/09/2025**

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा निकुम्भ पटवार क्षेत्र निकुम्भ, तहसील बडीसादडी , जिला – चितौडगढ में खतौनी संख्या 464 की आराजी खसरा सं. 2412 रकबा 1.52 हैक्टेयर चाही व खसरा सं. 2415 रकबा 0.02 हैक्टेयर गे.मु.चाह कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर लगानी 19.76 रूपया स्थित है। उक्त दोनों खसरा का पुराना एक ही खसरा नम्बर 1650 मी. रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा था जो नये सेटलमेंट के कारण नम्बर संशोधित होकर नये नम्बर वर्तमान में 2412 व 2415 पडें। वादपत्र में सुविधा के लिहाज से इन आराजीयात को वादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया जावेगा। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में भग्गा पिता नाना चमार के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। भग्गा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान कमशः प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 तक है। वादग्रस्त आराजीयात पर सम्वत् 2010 से ही निरन्तर निर्बाध रूप से वादीगण के दादाजी श्रीलाल पिता नाथु व वादीगण के पिता मोहनलाल पिता श्रीलाल जी मेनारिया का संयुक्त रूप से शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादीगण के दादाजी श्रीलाल मृत्यु पूर्व में हो चुकी है व वादीगण के पिता मोहनलाल का भी देहान्त दिनांक [illegible]/01/2021 को हो चुका है। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद से अब तक वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थनापत्र जिसके प्रकरण सं. 42/77 अन्तर्गत धारा 42 व 175 रा0टि0एक्ट का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा में वादीगण के दादाजी श्रीलाल के विरूद्ध दर्ज कराया गया था जो प्रार्थनापत्र दिनांक 29/03/1978 को न्यायालय सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:25 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

द्वारा खारीज किया गया उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न है। वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पुनः तहसीलदार बडीसादडी ने सन् 2000 में वादीगण के पिता मोहनलाल के विरूद्ध प्रकरण सं. 65/2000 अन्तर्गत धारा 183बी राज0टि0एक्ट के तहत दर्ज कर दिनांक 04/05/2001 को निर्णय सुनाते हुए वादीगण के पिता को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता मोहनलाल जी माननीय जिला कलक्टर चितैडगढ में अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 44/2001 है। उक्त अपील का दिनांक 10/11/2003 को माननीय जिला कलक्टर ने अपीलार्थी मोहनलाल के पक्ष में निर्णित करते हुए माना कि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से विपक्षी भग्गा चमार वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार साहब बडीसादडी द्वारा पुलिस थाना निकुम्भ में वादीगण के पिता मोहनलाल के विरूद्ध धारा 183(c) के तहत रिपार्ट प्रस्तुत की जिसकी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/2002 नये नम्बर 175/2009 पडे जिसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बडीसादडी ने दिनांक 24/10/2013 को निर्णय सुनाते हुए वादीगण के पिता मोहनलाल को दोषमुक्त घोषित किया। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। वादग्रस्त आराजीयात पर सवंत् 2010 से वादीगण के दादाजी श्रीलाल का पिता मोहनलाल जी का व उनकी मृत्युपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से बिना किसी रो टोक के शान्तिपूर्वक चला आ रहा है जिसको 12 वर्षो से भी अधिक समय का हो जाने से वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर धारा 63(3)(iv) राज0टि0एक्ट के तहत खातेदार काश्तकार हो चुके है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात भग्गा चमार के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही होने से प्रतिवादगण आराजीयात को खुर्द बुर्द करने, किसी अन्य को विकय करने, वादीगण को बेदखल करने की आये दिन धमकियां देते रहते है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण के खातेदारी की घोषित किया जाना व राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है साथ ही प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात पर संवत् 2010 से पूर्ण मेवाड सेटलमेंट के समय से वादीगण के बाप दादा व उनकी मृत्युपरान्त स्वयं वादीगण का पिछले करीब 69 वर्षो से यानि कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक 14/03/1956 से पूर्व से ही निर्वाध व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा होने से टेनेन्सी एक्ट लागू होते ही वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार बन चुके है वे अपने नाम पर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है।

अतः वादपत्र निम्नानुसार डिकी फरमावे –

वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा वादीगण के नाम कराई जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे करावे व वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्व रिकार्ड अथवा वर्तमान मौके की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन कर दिया जावे तो उसे आज्ञापक आदेश के जरीये पुनः आज की स्थिति बहाल कराई जावे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादीगण के पक्ष में उचित समझे [illegible] को प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । [illegible] को [illegible] सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1 से 4 की ओर से श्री पंकज मेहता [illegible] नं. 5 बावजूद सूचना के अनुपथित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी । [illegible] की आदेशिका दिनांक 25.11.2024 को

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रतिवादी नं 1 से 4 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। और पत्रावली साक्ष्यवादी मे नियत की गई। साक्ष्यवादी में वादी हिरालाल, शांतिलाल, निर्भयसिंह, चन्द्रप्रकाश, मुबारिक हुसैन, मदनलाल के शपथ पत्र पेश हुये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। जो 1964 से पूर्व का हो । साथ ही धारा 42 के प्रावधान भी यहां लागू होते है क्योकि धारा 42 के प्रावधान दिनांक 02.05.1964 से प्रभावी है। वादी का वाद मुख्यतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है। राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 में प्रतिकूल कब्जे (कब्जा मुखालफाना) (Adverse passession) के आधार पर खातेदारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील वादी साक्ष्य में दस्तावेज पेश करने मे असफल रहा है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के दृष्टान्त अपील डिक्री/टीए/593/2020/उदयपुर उनवान मृतक कूका जरिये वारिसान बनाम सरकार में खण्डपीठ श्री राजेश्वर सिंह माननीय अध्यक्ष एवं श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी माननीय सदस्य ने निर्णय दिया है कि वादी का वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों के अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसी ही परिस्थितियां है। अतः दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:25 IST
Reason: SelfAttested